न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी –श्री हेमन्त स्वरूप माथुर ,आर ए एस

अपील संख्या– एल आर ए/167/2016

उनवान

1. कालू पिता बख्तावर कुमावत निवासी गाडरी खेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2. उदा पिता बख्तावर कुमावत निवासी गाडरी खेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3. पेमा पिता बख्तावर कुमावत निवासी गाडरी खेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर, जिला भीलवाडा

रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम अपील विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा, के प्रकरण संख्या 47/2010 निर्णय दिनांक 11.5.2016 एवं तहसीलदार, रायपुर के प्रकरण संख्या 07/2010 निर्णय दिनांक 23.9.2010

——

अधिवक्तागण :–

1. श्री एस एन सोमाणी, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

निर्णय

दिनांक 13.6.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का थला ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रायपुर के यहॉ प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पाटीयों का खेडा तहसील जहाजपुर की आराजी नम्बर 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 अतिक्रमण कर लिया अतः अतिक्रमी के विरूद्ध 91 एल आर एक्ट के तहत कार्यवाही की जावे। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण तहसीलदार, रायपुर ने अप्रार्थीगण को ग्राम ग्राम पाटीयों का खेडा तहसील जहाजपुर की आराजी नम्बर 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 अतिक्रमण करने का दोषी मानते हुए अपीलाधीन निर्णय द्वारा लगान का पचास गुणा 484/—रूपये के अर्थदण्ड, से दण्डित किया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की ।

2. अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.5.2016 द्वारा अपीलार्थीगण/विपक्षीगण की अपील को खारिज किया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने द्वितीय अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण द्वारा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों पर कोई गौर नहीं कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है।

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण यह तथ्य जाहिर किया गया था कि अपीलाण्ट्स वादग्रस्त आराजी पर दिनांक 12.10.1966 से लगातार काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। अधिनस्थ न्यायालय में हाल आराजी नम्बर पर अपीलार्थीगण का कब्जा मानकर उन्हें बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया गया है। जबकि साबिक आराजी नम्बर 10/2 है जिस पर भी अपीलाण्ट्स का भू प्रबन्ध से पूर्व से ही कब्जा चला आ रहा है। तथा वादग्रस्त आराजियात अपीलार्थीगण की आराजी नम्बर 10 से पीवल होती है। जिसका अंकन भी राजस्व रेकार्ड में लगा हुआ है। इससे संबंधित दस्तावेज अपीलार्थीगण ने अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये जिस पर कोई विचारण नही कर अधिनस्थ न्यायालय ने यह वर्णित किया कि अपीलाण्ट की ओर से अपील के साथ ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे अपीलाण्ट का वादग्रस्त आराजियात पर 1966 से लगातार कब्जा साबित होता है। इस प्रकार का मत अभिव्यक्त करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादग्रस्त आराजियात को अपीलार्थीगण ने काफी लागत लगाकर काबिल काश्त बनाया है। माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 31.7.2000 को राजस्थान सरकार के निर्देश राजस्व (ग्रुप–4) विभाग क्रमांक पी–6, (21)राज.–483/5 जयपुर दिनांक 2.2.1983 के निर्णय

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अनुसार 1 जनवरी 1970 से पूर्व जो भी व्यक्ति निर्धारित रूप से चरागाह पर अतिक्रमण कर लगातार काश्त करते चले आ रहे हैं के कब्जे को नियमित कर दिये जावे की पालना में अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार राययपुर ने आराजियात को अपीलाण्ट के हक में नियमन करने की सिफारिश की गई व अपने निर्णय में सरपंच ग्राम पंचायत थला के आधार पर उक्त भूमि अपीलाण्ट के नाम पर नियमन कने पर कोई आपत्ति नहीं होने का हवाला दिया परन्तु आवंटन सलाहकार समिति द्वारा उक्त भूमि अपीलाण्ट के नाम पर आवंटित नहीं की गई। जिसके संबंध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में कार्यवाही विचाराधीन है जिसके प्रकरण संख्या 8237/2007 अनवान कालू बनाम सरकार विचाराधीन है । उक्त अपील में भी अभी निर्णय पारित नहीं हुआ है। तथा अपीलार्थीगण ने कब्जे बाबत सम्पूर्ण दस्तावेज अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किय थे। जिस पर कोई गौर नहीं किया जा कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र 10 सी पी सी प्रस्तुत किया था जिसका निर्णय रिजर्व रखा गया था जिस पर कोई निर्णय पारित नहीं कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे एवं अपीलार्थीगण के विरूद्ध की जा रही बेदखली की कार्यवाही समाप्त की जाकर वादग्रस्त आराजी का अपीलार्थीगण के पक्ष में नियमन की अनुशंषा के साथ प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय में रिमाण्ड किया जावे।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

7. प्रत्यर्थी की ओर से योग्य राजकीय अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलार्थीगण का चरागाह की भूमि पर अतिक्रमण रहा है एवं चरागाह की अतिक्रमित भूमि का नियमन नहीं किया जा सकता है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

8. हमने उभयपक्ष के अधिवतागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थीगण का निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलार्थीगण का 1966 से लगातार कब्जाकाश्त चला आ रहा है। इस संबंध में तहसीलदार रायपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.7.2000 को अवलोकन किया गया । जिसके अनुसार तहसीलदार रायपुर ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर वादग्रस्त आराजी पर अपीलार्थी के पिता एवं उनके पश्चात अपीलार्थी का कब्जाकाश्त लगातार होने से राजस्थान सरकार के निर्देश राजस्व (ग्रुप–4) विभाग क्रमांक पी–6, (21)राज.–483/5 जयपुर दिनांक 2.2.1983 के निर्णय अनुसार 1 जनवरी 1970 से पूर्व जो भी व्यक्ति निर्धारित रूप से चरागाह पर अतिक्रमण कर लगातार काश्त करते चले आ रहे हैं के कब्जे को नियमित कर दिये जावे की पालना में वादग्रस्त आराजियात को अपीलाण्ट के हक में नियमन करने की सिफारिश करते हुए निर्णय दिनांक 31.7.2000 को निर्णय पारित किया है। जिसकी फोटो प्रति अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है।

9. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि अपीलाण्ट के नाम पर आवंटित नहीं की गई।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

जिसके संबंध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में कार्यवाही विचाराधीन है जिसके प्रकरण संख्या 8237/2007 अनवान कालू बनाम सरकार विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया । जिसमें माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील मीमों पर प्रकरण संख्या 8237/2007 दर्ज होकर विचाधीन है।

10. माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील मीमों के सदंर्भ में अपीलार्थीगण द्वारा ऐसा काई आदेश न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की क्रियान्विती को स्थगित रखा गया हो।

11. न्यायालय हाजा में वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किये जाने के फलस्वरूप उसके विरूद्ध की गई 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत की गई बेदखली एवं शास्ति अधिरोपित किये जाने के विरूद्ध द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है। न्यायालय हाजा को अपीलाधीन प्रकरण में यह देखना है कि अपीलार्थी द्वारा किये गये अतिक्रमण के फलस्वरूप राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत उसके विरूद्ध की गई कार्यवाही विधिसम्मत है अथवा नहीं ? वादग्रस्त आराजी नम्बर 6 लगायत 14 राजस्व रेकार्ड में चरागाह दर्ज रेकार्ड है। तथा अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 12.10.1966 से लगातार काबिज होकर लगातार काश्त करने बाबत राजस्व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अपीलाण्ट कब्जे के आधार पर आवंटन चाहते हैं। जिसे सक्षम स्तर पर आवंटन सलाहकार समिति द्वारा खारिज कर दिया गया है, तथा अपीलाण्ट अनुसार माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील संख्या 8237/2007 अनवान कालू

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

बनाम सरकार लंबित है। आवंटन बाबत कोई विधिक या प्रशासनिक निर्णय अपीलाण्ट के पक्ष में नहीं है, अतः अपीलाण्ट राजकीय दर्ज भूमि पर अतिक्रमी की हैसियत से ही बैठा हुआ है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को देखल करने के साथ–साथ 484/–रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करनेके तहसीलदार रायपुर के निर्णय दिनांक 29.9.2010 को यथावत रखने में कोई त्रुटि नहीं की है। जिस पर अतिक्रमण किये जाने के फलस्वरूप अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई अपीलार्थी को वादग्रस्त आराजी से बेदखल करने के साथ'–साथ 484/–रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है जो विधिसम्मत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

12. परिणामतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाडा के निर्णय दिनांक 11.5.2016 एवं तहसीलदार, रायपुर के निर्णय दिनांक 23.9.2010 को यथावत रखा जाता है।

13. निर्णय आज दिनांक 13.6.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

13/6/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा